कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्य प्रदेश

220, राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष 0755-2559537, EPABX- 2559345, 2559346, 2559347, 2559348 Fax- 2550972
Email: prirevcom@mp.gov.in, Website: www.prc.mp.gov.in

क्रमांक PRC/IT/04/0015/2020-IT Cell-PRC / 6804 भोपाल, दिनांक 16/10/2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय : **सीमांकन के नवीन Module का उपयोग करने के संबंध में।**
संदर्भ : राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ2-13/2018/सात/शा.7 दिनांक 28.01.2019 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 2-2-2019-सात-शा-7 दिनांक 18 जुलाई 2019

राजस्व विभाग द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 दिनांक 28 जनवरी 2019 को जारी किए गए हैं जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4(ग), पृष्ठ क्रमांक 103 से 129 तक दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित हुए हैं। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-2-2019-सात-शा-7 दिनांक 18 जुलाई 2019 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 जारी किए गए हैं। उक्त दोनों नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील हो गए हैं। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्व न्यायालय को आवेदन पत्र रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जायेंगे।

2. उक्त नियमों के अनुक्रम में RCMS Portal RCMS portal (www.rcms.mp.gov.in) में सीमांकन के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने एवं उनका निराकरण किए जाने हेतु सीमांकन Module प्रारंभ किया गया है उक्त Module के माध्यम से आम नागरिक अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र स्वयं upload एवं लोक सेवा केन्द्र या एमपी ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही सीमांकन हेतु अनिवार्य आवश्यक दस्तावेज Upload करने की सुविधा भी सीमांकन माड्यूल में दी गई है। न्यायालय के लिए निर्धारित प्रक्रिया शुल्क एवं सीमांकन शुल्क का भुगतान भी पोर्टल पर ऑनलाईन स्वयं, लोक सेवा केन्द्र अथवा एमपी ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं।

3. उक्त सीमांकन Module में राजस्व निरीक्षक द्वारा संपादित किए जाने वाले सीमांकन एवं संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु, प्रत्येक राजस्व निरीक्षक को RCMS Application में Login

ل/ﻫ،

ID एवं Password उपलब्ध कराया गया है जिसका उपयोग कर संबंधित राजस्व निरीक्षक सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का अवलोकन कर सकता है तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई समयावधि में सीमांकन उपरांत सीमांकन से संबंधित रिपोर्ट Online प्रस्तुत कर सकता है।

4. बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 के अनुक्रम में राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा सीमांकन हेतु निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। न्यायालय के आदेश की प्रति आवेदक द्वारा RCMS से सीधे Download की जा सकती है।

तत्संबंध में अनुरोध है कि सीमांकन माड्यूल के सहज उपयोग हेतु User Manual एवं फार्म www.rcms.mp.gov.in पर उपलब्ध कराये गए हैं। अतः आपके अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को सीमांकन के नवीन Module का उपयोग करने हेतु निर्देशित करें।

Signature valid

(जी व्ही रश्मि)

प्रमुख राजस्व आयुक्त,

पृ. क्रमांक PRC/IT/04/0015/2020-IT Cell-PRC/6805 भोपाल, दिनांक 16/10/2020

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, भू अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्यप्रदेश।
5. समस्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।

प्रमुख राजस्व आयुक्त,